TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION3SUB-SECTION (ii) OF THE GAZETTE OF INDIA.
(EXTRAORDINARY)

No.19-9/88-PP I
Government of India
Ministry of Agriculture
(Dept. of Agriculture & Co-Operation)

Krishi Bhavan, New Delhi.
Dated the 31st Oct., '89.

NOTIFICATION

S.O. In exercise of the power conferred by section 5 of the Insecticides Act, 1968(46 of 1968) the Central Government hereby reconstitutes with immediate effect, the Registration Committee, consisting of the following, namely:-

1.	Agriculture Commissioner Dept. of Agriculture & Co-operation, New Delhi.	Chairman.
2.	Industrial Adviser (Chemical) Directorate General of Technical Development, New Delhi.	Member.
3.	Director, Industrial Toxicological Research Centre, Lucknow.	Member
4.	Deputy Director General (Crop Sciences) Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.	Member.
5.	Drug Controller of India, New Delhi.	Member.
6.	Plant Protection Adviser to the Government of India.	Member.

2. The term of the Committee shall be three years unless reconstituted earlier.

(B. NARASIMHAN)
Joint Secretary to Govt. of India.

Manager,
Government of India Press,
Mayapuri,
New Delhi.

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii)
में प्रकाशनार्थ

सं. 19-9/88-पी. पी. I

भारत सरकार
कृषि मंत्रालय
(कृषि और सहकारिता विभाग)
नई दिल्ली, तारीख अक्तूबर, 1989

अधिसूचना

का. आ. केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तात्कालिक प्रभाव से रजिस्ट्रीकरण समिति गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

1.	कृषि आयुक्त, कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली ।	अध्यक्ष
2.	उद्योग सलाहकार (रसायन), तकनीकी विकास महानिदेशालय, नई दिल्ली ।	सदस्य
3.	निदेशक औद्योगिक विष-विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ	सदस्य
4.	उपमहानिदेशक (फसल विज्ञान) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ।	सदस्य
5.	भारत का औषधि नियंत्रक, नई दिल्ली ।	सदस्य
6.	वनस्पति रक्षण सलाहकार, भारत सरकार ।	सदस्य

2. यदि समिति का पुनर्गठन पहले ही नहीं कर दिया जाता है तो उसकी अवधि तीन वर्ष की होगी ।

(वी. नरसिम्हन)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

IndiaCode